अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सं0 5/2016- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. ____(अ).- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 9 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1985 का 16) की प्रथम अनुसूची के अध्याय शीर्ष 7113 के अधीन आने वाले रजत आभूषण की वस्तुओं से भिन्न, किन्तु उसमें हीरा, रूबी, पन्ना या नीलम जड़ित रजत आभूषण की वस्तुऐं सम्मिलित हैं, आभूषण की वस्तु (जिसे इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट माल कहा गया है) के विनिर्माण या उत्पादन में लगे प्रत्येक विनिर्माण या कारखाना या परिसर, जहां ऐसे माल का विनिर्माता विभिन्न कारखानों या परिसरों द्वारा विनिर्मित या उत्पादित ऐसे विर्निर्दिष्ट माल की बाबत केन्द्रीय बिलिंग या लेखा प्रणाली रखता है, जहां से ऐसी केन्द्रीयकृत बिलिंग या लेखा किया जाता है और जहां कच्ची सामग्री की प्राप्ति दर्शाने वाले लेखा/अभिलेख और फुटकर कर्मकारों से वापस विनिर्मित या प्राप्त उत्पाद शुल्क्य तैयार माल रखे जाते हैं ।

2. इसमें अंतर्विष्ट छूट का फायदा पाने के लिए, केन्द्रीयकृत रजिस्ट्रीकरण लेने वाला विनिर्माता सभी परिसरों (फुटकर कर्मकारों से भिन्न) जहां से ऐसे विर्निर्दिष्ट मालों को घरेलू निकासी के लिए हटाया जाता है, के ब्यौरे देगा ।

3. इस अधिसूचना में किसी बात के होते हुए भी विनिर्दिष्ट माल का विनिर्माता ऐसे सभी कारखानों या परिसरों के लिए भी पृथक रजिस्ट्रीकरण ले सकेगा जहां कच्ची सामग्री की प्राप्ति दर्शाने वाले लेखा/अभिलेख और फुटकर कर्मकारों से वापस विनिर्मित या प्राप्त उत्पाद शुल्क्य तैयार माल रखे जाते हैं ।

[फा.सं0 334/8/2016-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार